(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2739-दो/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 25-07-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 420 अ-27/ 2009-10 निगरानी

श्रीमती पार्वती वाई जोजे देवीप्रसाद पांडे
ग्राम ढेड़वारा तहसील व जिला नरसिंहपुर —आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सुगन जोजे गोविन्द प्रसाद शुक्ला
जागृति नगर मोटर स्टेण्ड के पास गोटगांव
जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश —— अनावेदक

(आवेदक की ओर से कोई भी नहीं)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी.)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 12 --2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 420 अ-27/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-7-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार नरसिंहपुर के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी कि मौजा ढेडवारा में स्थित सर्वे नंबर 48/6 , 70/5 रकबा 0-405 हैक्टर भूमि सुमन पाण्डे, भोजराज, पार्वती के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज थी उक्त भूमि में से भोजराज आ0 देवीप्रसाद, पार्वती जोजे देवीप्रसाद पांडे ने लगभग 0-037 है. भूमि का विक्रय बिना मेरी स्वीकृति सहमति के किया है जबकि उक्त सामिल शरीक हक की भूमि में से मेरे हिस्से की 0-135 है. भूमि है। इसलिये हिस्से

अनुसार बटवारा कर दिया जावे। तहसीलदार नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 7 अ 27/ 2007-07 पॅजीबद्व किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 12-2-09 अनुसार आवेदक के कथन अंकित कर शेष खातेदारों के कथन हेतु पेशी 20-2-09 नियत कर दी। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 24 अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 31.7.10 से निगरानी अॅशतः स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार की ओर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु वापिस किया। अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 31-5-10 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 420 अ-27/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-7-14 से निगरानी अस्वीकार की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक एंव उनके अभिभाषक तर्क हेतु नियत पेशी पर अनुपस्थित रहे। अनावेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये । पक्षकार के हितों को एंव न्याय की दृष्टि से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त न करते हुये निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों में आये तथ्यों पर विचार करते हुये मामले का निराकरण किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया। तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 7 अ 27/ 2007-07 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12-2-09 के अनुसार आवेदक के कथन अंकित किये गये एंव शेष खातेदारों के कथन हेतु पेशी 20-2-09 नियत की गई है। तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 12-2-09 से आवेदक को किस प्रकार की क्षति हुई है - निगरानी मेमो में अंकन नहीं है। अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 24 अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 31.7.10 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण वापिस किया है। अपर कलेक्टर के इस निर्णय से आवेदक को कौनसी प्रत्यक्ष क्षति हुई है - निगरानी मेमो में अंकन नहीं है यही स्थिति अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 25-7-14 के तुलनात्मक अवलोकन पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक जानबूझकर तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 7 अ 27/ 2007-07 का निराकरण होने नहीं देना चाहती है, जिसके कारण उसके व्दारा विभिन्न न्यायालयों में

निगरानी प्रस्तुत करके प्रकरण को लम्बित बनाये रखा है जबकि अपर कलेक्टर के आदेशानुक्रम में उसे तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का समुचित उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 420 अ-27/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-7-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर